

(अभियन्त्रण अनुभाग)  
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

दिनांक 15/11/14  
22/11/14

संख्या

/ ए-2 / 381

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदन दिनांक 21.10.2014 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0 परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	046047 जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11,मेरठ में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ-32 प्रकार के 64 नग (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य।	258.49	101/46

- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- उक्त कार्य प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 1 वर्ष 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- आवास आयुक्त (म0) के निर्देशान्तर्गत उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में उच्चतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाय। कार्य की गुणवत्ता की चेकिंग सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित की जाय।
- प्रश्नगत कार्य की वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।
- प्रश्नगत कार्य की निविदा एकल गुप में आमंत्रित की जाय।

(एस0के0रायतानी)  
अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)

पृ0सं0: 3742 / उक्त / 381

दिनांक: 31.10.2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
- अधिशासी अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड-05/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

AA/AA/A.A.O

30/11/14

अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)

22/11/14

द्वारा प्रेषित की गयी है

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद  
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ

/ ए-2 / टी०एस० / 381

कार्यालय आदेश

दिनांक 16/9/15  
कार्यक्रम नं० 70  
कार्यक्रम नं० 1292  
दिनांक 16/9/15

संख्या

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ के पत्र सं०-1989/डब्ल्यूजी-1/322 दिनांक 19.08.2015 द्वारा प्रेषित प्राक्कलन एवं स्वीकृति के क्रम में एताद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नपत्र निर्गत की जाती है -

- |    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1- | कार्य का विवरण                  | जगृति विहार (विस्तार), योजना संख्या -11, मेरठ में स्व-वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ-32 प्रकार के 64 नग(जी+3) भवनों का निर्माण कार्य। |
| 2- | आई०डी०कोड नं०                   | 048047  |
| 3- | अ- प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ | अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं०-3942/ए-2/381 दिनांक 31.10.2014   |
|    | ब- कार्य की लागत                | रु० 258.49 लाख  |
| 4- | तकनीकी स्वीकृति का लागत         | रु० 258.49 लाख  |
| 6- | लेखा शीर्षक संख्या              | 101/46  |

प्रतिबन्ध

- 1- कार्यों का सम्पादन मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 2- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न भवनों की दलों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशास्त्री अभियन्ता का होगा।
- 3- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
- 4- भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन का परीक्षण अधिशास्त्री अभियन्ता अपने स्तर से करके उनकी संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार मूलभूत प्रतिरोधी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।
- 5- भवन में नींव की खुदाई करते समय यह देख लिया जाये कि गिट्टी की प्रकृति स्वायत्त टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है अथवा नहीं। यदि इतकी गुणवत्ता में कोई अन्तर हो तो स्वायत्त का पुनः परीक्षण करा लिया जाय तथा नींव की डिजाइन आदि में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिये जायें।
- 6- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।
- 7- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्वायत्त टेस्टिंग अवश्य करायी जाय। तदनुसार ही नींव को डिजाइन करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 8- भवनों का निर्माण वास्तविक पंजीकरण के आधार पर ही कराया जाय।
- 9- उक्त भवनों का निर्माण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि 18 माह में पूर्ण कर लिया जाय।
- 10- प्राक्कलन में ली गयी सागरी का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।
- 11- प्राक्कलन में ली गयी दलों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।

(आर०के०अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता

24.8.2015

पू०सं०: 3508 / ए-2 / टी०एस० / 381 दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वित्त नियंत्रक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता(प्र०)/द्वितीय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
- 3- अधिशास्त्री अभियन्ता (नि-1)/निर्माण खण्ड-05, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।

AE/15/14

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता